Purva Mimaansa | Refereed | Peer Reviewed
ISSN: 0976-0237 | Volume 12, Issue September 2021 | Impact Factor 4.765

दल बदल विरोधी कानून के बाद दलबदल की बढ़ती और बदलती भूमिका

वीना

छात्रा, राजनीतिक विभाग, दयानंद कॉलेज, फरीदाबाद (हरियाणा)

सारांश

1970 में भारतीय राजनीति में दल बदल काफी प्रचलित था। हरियाणा के मंत्री आया राम के द्वारा 15 दिन में तीन बार पार्टी बदलने के कारण भारतीय राजनीति को आया राम गया राम की राजनीति से भी जाना जाने लगा। दल बदल का साधारण अर्थ एक दल से दूसरे दल में सम्मिलित होना या अपने पार्टी से इस्तीफा देना है। दलबदल भारतीय राजनीति की छवि को क्षतिग्रस्त करता है। दल बदल की राजनीति को समाप्त करने के लिए राजीव गांधी की सरकार के समय 15 फरवरी 1985 में संविधान में 52 संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ और 1 मार्च 1985 को लागू हुआ। सविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की दसवीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। दल बदल विरोधी कानून को 8 पैराग्राफ में विभाजित किया गया है। दसवीं अनुसूची के पैरा छह के अनुसार स्पीकर को अंतिम निर्णय देने का अधिकार प्रदान किया गया था परंतु कीहोतो होलोहन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के अंतिम निर्णय लेने के अधिकार को खारिज किया और उस पर न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति को बाधित किया।

दल बदल विरोधी कानून की कमियों को दूर करने के लिए समितियों जैसे दिनेश गोस्वामी समिति तथा आयोगों जैसे विधि आयोग, चुनाव आयोग के द्वारा भी कई बार सुझाव दिए गए । दलबदल विरोधी कानून के उपबंधो का दुरुपयोग होने के कारण कई बार इसमें संशोधन भी किया गया। जैसे 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा दसवीं अनुसूची के उपबंध 3 जिसमें एक तिहाई सदस्यों के विभाजन को अयोग्यता नहीं माना जाता था, को समाप्त कर दिया गया। दलबदल विरोधी कानून के बावजूद भी भारतीय राजनीति में कई जगह दलबदल देखा गया। मणिपुर,पांडिचेरी तमिलनाडु ,मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दलबदल होने के कारण दल बदल विरोधी कानून के विसंगतियां भी उजागर हुई। दल बदल विरोधी कानून अपने कई उपबंधो के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हुआ है। विरोधी कानून सांसदों पर विचार थोपने का एक अधिकार है। दल बदल विरोधी कानून जहां एक और सरकार को स्थिरता प्रदान करता है वहीं दूसरी ओर यह भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है। दल बदल विरोधी कानून सांसदों को अपने विचार या जनता के विचार नहीं, बल्कि पार्टी के विचार को आवाज देने के लिए मजबूर करता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या दल बदल विरोधी कानून में सुधार लाकर भारतीय लोकतंत्र जो कि भारतीय राजनीति की आधारशिला है को बचाया जा सकता है। दल बदल विरोधी कानून के अभाव में सांसद पार्टी लाइन से अलग अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 रिपब्लिकन सीनेटरों ने अपनी पार्टी के विरूद्ध राष्ट्रपति ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए मतदान किया। यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की पार्टी के 55 सांसदों ने सख्त

PURVA MIMAANSA

लोक डाउन के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।

संकेताक्षर : लोकतंत्र, जनप्रतिनिधि, अवसरवाद, पार्टी राज ,संशोधन, मतदान, कानून

संदर्भ

देश के नेताओं द्वारा, दलबदल नियमों के उल्लंघन के कारण दल बदल कानून एक बुनियादी मुद्दा रहा है। मध्यप्रदेश में एक नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। जिसमें दल बदल विरोधी कानून को सुझावों के साथ लागू करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। जब मध्यप्रदेश में सिंधिया ने 10 मार्च 2020 को कांग्रेस छोड़ी और 11 मार्च को बीजेपी में शामिल हो गए। और उनके साथ 22 सदस्यों ने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। इस प्रकार दलबदल के कारण राजनीतिक स्थिरता एक बार फिर खतरे में पड़ गई।

हाल ही में राजस्थान की राजनीति में भी दलबदल की राजनीति का रूप देखा गया। जिसमें दलबदल के आधार पर कांग्रेस पार्टी के 18 नेताओं और राजस्थान के उपमुख्यमंत्री (सचिन पायलट) को 2 विधानसभा बैठको में शामिल ना होने पर व पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर राज्य विधानसभा ने उनकी अयोग्यता की मांग करते हुए नोटिस जारी किया। इस संदर्भ में, हम दलबदल विरोधी कानून की व्याख्या करते हैं।

प्रस्तावना

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जिसमें राजनीतिक दलों की एक अहम भूमिका होती है। परंतु दलबदल की राजनीति, राजनीतिक दल की भूमिका पर प्रश्नचिन्ह लगा देती है। दल बदल का साधारण अर्थ, एक दल से दूसरे दल में सम्मिलित होना या निर्वाचित सदस्य का एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना है। दल बदल के कारण राजनीतिक स्थिरता को आघात पहुंचता है और राजनीति में नैतिक मूल्यों में गिरावट आती है। राजनीति में दलबदल, अवसरवाद, महत्वकांक्षए या लोभ के कारण ही होता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जब विधायकों द्वारा दलबदल होता है तब यह तर्क दिया जा सकता है कि वे सरकार की स्थिरता को कमजोर कर सकते हैं। दलबदल की प्रक्रिया में निर्वाचित सदस्यों का राजनीतिक पक्ष बदलकर लाभपद पाने की यह प्रथा हॉर्स ट्रेडिंग के रूप में जानी जाती हैं। इसे इंग्लैंड में फ्लोर क्रॉसिंग और कालीन के रूप में भी जाना जाता है।

PURVA MIMAANSA

पृष्ठभूमि

देश की आजादी से पहले भी दलबदल बहुत प्रचलित था। 1960 में गठबंधन की राजनीति ने भी दलबदल की घटनाओं को बढ़ावा दिया। दलबदल का सबसे चरम उदाहरण हरियाणा में देखने को मिला। जब 1967 में विधायक गया लाल ने एक ही दिन में तीन बार पार्टी बदली और भारत में आया राम गया राम की राजनीति को जन्म दिया। 1967 में विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के 3500 सदस्य चुने गए थे। और निर्वाचित प्रतिनिधियों में से लगभग 550 बाद में अपने मूल दल से अलग हो गए और कुछ राजनेताओं ने एक से अधिक बार दल परिवर्तन किया। दल बदल के संकट को खत्म करने के लिए 1967 में वाईवी चौहान की अध्यक्षता में चौथी लोकसभा में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा 1968 में एक

रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसके कारण संसद में दल बदल विरोधी विधेयक लाने का पहला प्रयास किया गया।

दलबदल का सबसे बड़ा उदाहरण तब देखा गया। जब 1977–79 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले गैर कांग्रेसी सरकार को क्षेत्र सांसदों के दल बदल के कारण सत्ता से बाहर कर दिया गया था। इन दशकों में दल बदल के कारण सबसे ज्यादा प्रभाव राज्य सरकारों पर पड़ा और क्षेत्रीय सरकारें गिरी। इन दशकों में दलबदल भारत की राजनीति में एक निश्चित प्रवृत्ति थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री विरेंदर पाटिल ने इस प्रवृत्ति को 'गोल्ड रश' कहा।

दलबदल की इस राजनीति को समाप्त करने के लिए राजीव गांधी की सरकार के समय 15 फरवरी 1985 में संविधान में 52 संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ और 1 मार्च 1985 को लागू हुआ । ताकि अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टी बदल लेने वाले विधायकों और सांसदों पर लगाम लगाई जा सके।

अध्ययन के उद्देश्य

अवसरवादी राजनीति पर रोक लगाना ।

उपचुनाव पर होने वाले व्यय को नियंत्रित करना ।

सरकार को स्थिरता प्रदान करना ।

दोषी सदस्यों पर दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार प्रदान करना।

जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकना और अयोग्य घोषित करना।

शोधप्रविधि

प्रस्तुत शोध में सैद्धांतिक, विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक, तुलनात्मक एवं नवीन व्यवहारिक पद्धतियों को अपनाया गया है। शोध कार्य हेतु आवश्यक लेखन सामग्री को इंटरनेट, शोध संसाधनों एवं शोध–लेखों के माध्यम से लिया गया है। शोध लेखों के अलावा विभिन्न आयोगों के प्रकाशनों, समाचार पत्र–पत्रिकाओं और राजनीतिक दलों के व्यवहारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

दल बदल विरोधी कानून

15 फरवरी 1985 में संविधान में 52 संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ और 1 मार्च 1985 को लागू हुआ । संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की 10 अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया ।दल बदल विरोधी कानून को 8 पैराग्राफ में परिभाषित किया गया ।52 सविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के 4 अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 में संशोधन किया गया। जिसके तहत दल बदलने वाले सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

पैराग्राफ –1 व्याख्या–– यह खंड कानून बनाने वाली अलग–अलग शर्तों को परिभाषित करता है।

PURVA MIMAANSA

पैराग्राफ–2 दलबदल के आधार पर अयोग्यता––यह खंड दलबदल विरोधी कानून की आधारशिला है। जिसके द्वारा किसी सदस्य को, दल बदलने पर संसद या राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पैरा 2.1 (ए) का प्रावधान उस सदस्य पर लागू होता है। जब वह स्वयं की इच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। जबकि पैराग्राफ 2.1 (बी) प्रावधान में उस सदस्य को अयोग्य ठहराया गया है जो सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है या अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत वोट देता है या किसी भी महत्वपूर्ण मतदान में अनुपस्थित रहता है। पैराग्राफ 2.2 में ऐसे सदस्य को अयोग्य घोषित किया गया है जो सदस्य एक निश्चित राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के बाद अन्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है । पैराग्राफ 2.3 के अनुसार यदि छह महीने के बाद एक मनोनीत सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्यता का पात्र बन जाता है।

पैराग्राफ –3 सामूहिक दलबदल–इस प्रावधान के अनुसार ऐसे सदस्यों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा जो एक तिहाई सदस्य मिलकर सदन में एक नए दल का निर्माण कर लेते हैं। परंतु बाद में 91 सविधान संशोधन अधिनियम 2003 में दसवीं अनुसूची के एक प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि इस प्रावधान के द्वारा दल बदल विरोधी कानून का दुरुपयोग किया जा रहा था। इस अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून एक इलाज ना होकर रोग बन गया था।

पैराग्राफ 4 विलय के आधार पर अयोग्यता नहीं–इस उपबंध के अनुसार विलय के मामले में राजनीतिक दलों के सदस्यों को दल बदलने पर भी अयोग्य नहीं ठहराया गया है। बशर्ते विलय विधायक दल के 2 तिहाई सदस्यों के द्वारा किया जाए और किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय हो जाए। यह इस कानून का एक अपवाद भी है।

पैराग्राफ 5 स्पीकर या सभापति पर लागू नहीं–इस उपबंध में स्पीकर/सभापति और उपसभापति को इस कानून से मुक्त किया गया है। अर्थात यह कानून सभापति और उपसभापति पर लागू नहीं होता। इस प्रकार यह उपबंध भी दल विरोधी कानून में एक अपवाद की तरह है

पैराग्राफ 6 स्पीकर को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार –इस प्रावधान के अनुसार स्पीकर /सभापति को दलबदल विरोधी मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात राजनीतिक दल के सदस्यों की दलबदल विरोधी अयोग्यता निश्चित करता है। क्योंकि स्पीकर के अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार को खत्म कर देता है तथा स्पीकर द्वारा अंतिम निर्णय लेने से स्पीकर द्वारा इस कानून के दुरुपयोग होने का खतरा बना रहता है । इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1993 के कीहोतो होलोहनवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देते हुए कहा कि स्पीकर/सभापति का निर्णय अंतिम नहीं होगा । सभापति/अध्यक्ष के निर्णय का न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने माना की दसवीं अनुसूची के प्रावधान न तो संसद और राज्य विधानसभाओं में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करते हैं और न ही यह संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत किसी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित सदस्यों के दलबदल विरोधी कानून को संवैधानिकता प्रदान की और स्पीकर की शक्ति के दुरुपयोग पर अंकुश लगा दिया। दल बदलने वाले विधायकों/सांसदों के सदस्य को अयोग्य ठहराने को लेकर स्पीकर के फैसले हमेशा विवाद का कारण बनते रहे हैं क्योंकि कई बार स्पीकर द्वारा इस कानून का दुरुपयोग भी किया गया है।

पैराग्राफ 7. सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर –पैराग्राफ के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया था परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1993 के कीहोतो होलोहनवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देते हुए कहा कि स्पीकर /सभापति का निर्णय अंतिम नहीं होगा । सभापति /अध्यक्ष के निर्णय का न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है ।

पैराग्राफ 8 नियम–इस पैराग्राफ के तहत, राजनीतिक दलों के सदस्यों की अयोग्यता से निपटने के लिए सभापति और अध्यक्ष को नियम बनाने की अनुमति दी गई है।

91 संविधान संशोधन 2003

कुछ वर्ष बाद इस कानून में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए 2003 में 91 संविधान संशोधन पारित किया गया। यह संशोधन लोकसभा एवं राज्यसभा के द्वारा दिसंबर 2003 को पास किया गया जिसे राष्ट्रपति द्वारा 20 जनवरी 2004 को स्वीकृति मिलने के बाद लागू कर दिया गया। जिसमें निम्न प्रावधान किए गए –

सांसद एवं विधायक की सदस्यता दलबदल करने पर स्वयं ही समाप्त हो जाएगी।

किसी भी सरकारी लाभ का पद दलबदल दोषी सांसद को नहीं दिया जाएगा।

सदन की सदस्यता हासिल करने के लिए दल बदल दोषी सांसद को चुनाव जीतना होगा।

मंत्री परिषद का आकार केंद्र व बड़े राज्य में सदन की सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत कर दिया गया।

कई वर्षों तक दल बदल विरोधी कानून की धारा 3 का दुरुपयोग किया जा रहा था । जिसमें प्रावधान था कि एक तिहाई सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते थे और उन पर दल बदल कानून लागू नहीं हो सकता था। इसीलिए संशोधन द्वारा एक उपबंध (पैरा 3) को समाप्त कर दिया। अर्थात व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामूहिक दलबदल को भी असंवैधानिक करार कर दिया गया।

विभिन्न समितियां

दल बदल विरोधी कानून में सुधार करने के लिए कुछ समितियों का भी गठन किया गया। जिन्होंने दल बदल विरोधी कानून में कई तरह के परिवर्तन की मांग की जैसे–

दिनेश गोस्वामी समिति

वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति के अनुसार दल–बदल कानून के प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने का निर्णय, स्पीकर या सभापति द्वारा नहीं बल्कि चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा किया जाना चाहिए। सदन या विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को उस स्थिति में अयोग्य ठहराया जाना चाहिये यदि वे किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होते हैं।

PURVA MIMAANSA

विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट

वर्ष 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट मे स्पष्ट किया कि चुनाव मे पार्टियाँ यदि गठबंधन के द्वारा चुनाव लड़ती हैं तो दल–बदल विरोधी प्रावधानों में उस गठबंधन को एक पार्टी माना जाना चाहिए । राजनीतिक दलों को केवल व्हिप तभी जारी करनी चाहिये, जब सरकार की स्थिरता खतरे में हो।

चुनाव आयोग का सुझाव

चुनाव आयोग के अनुसार, दल बदल विरोधी कानून में चुनाव आयोग की व्यापक और महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और राष्ट्रपति / राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था आयोग की बाध्यकारी सलाह पर होनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय का सुझाव

मणिपुर मामले 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि अध्यक्ष या सभापति के स्थान पर किसी बाहरी अधिकरण को निर्णय लेने वाले अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि दल बदल के मामलों में निर्णय 3 महीने के अंदर ही किया जाना चाहिए।

दलबदल विरोधी कानून संबंधित मुद्दे

1967 से 1971 के बीच 4 वर्षों में, संसद में दलबदल के 142 और राज्यों की विधानसभाओं में 1969 मामले सामने आए, 32 सरकारें गिरी और 212 दलबदलू को मंत्री पद मिले। दल बदल की ऐसी स्थिति देखते हुए 1985 में संविधान में संशोधन कर 10 अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून को लाया गया। परंतु दलबदल विरोधी कानून भी भारतीय राजनीति से दलबदल का रोग नहीं समाप्त कर पाया। दलबदल विरोधी कानून के बाद भी राजनीतिक दलों के बीच दलबदल होता रहा और सरकार की स्थिरता पर प्रश्नचिन्ह लगा

1960–70 के दशक में 'आया राम गया राम' की राजनीति देश में काफी प्रचलित हो गई थी। दरअसल अक्तूबर 1967 को हरियाणा के एक विधायक (गया लाल) ने 15 दिनों के भीतर 3 बार दल–बदलकर इस मुद्दे को राजनीतिक मुख्यधारा में ला खड़ा किया था। भजनलाल और 38 सदस्य ने बीजेपी पार्टी को छोड़ कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस प्रकार हरियाणा में दलबदल की शुरूआत हुई और उसके बाद अन्य राज्य मे भी दलबदल खूब प्रचलित हुआ। दलबदल की इस बढ़ती भूमिका ने दलबदल विरोधी कानून को जन्म दिया। परंतु यह कानून भी दलबदल की स्थिति को कम नहीं कर पाया।

कर्नाटक में भी दलबदल का मसला देखने को मिला जब 2019 के चुनाव मे जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के 105 विधायकों ने दल बदल कर जेडीएस कांग्रेस की सरकार गिरा दी। परंतु स्पीकर द्वारा इन विधायकों पर अयोग्यता को लेकर काफी दिनों तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस प्रकार फिर सरकार को अस्थिरता का सामना करना पड़ा।

मणिपुर का विधानसभा चुनाव दिखाता है कि सत्ता कितनी आसानी से दलबदल विरोधी कानून को पलट सकती हैं और लोकतंत्र की भावना और नियमों का गला घोट सकती है। 2017 के

चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 28 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटें, ऑल इंडिया कांग्रेस को 1सीट, नागा पीपल्स पार्टी को 4 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी को 1सीट, नेशनल पीपल पार्टी को 4 सीट और निर्दलीय को 1 सीट मिली। इस तरह 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत के लिए 3 सीटों की आवश्यकता थी। परंतु कांग्रेस 3 सीटे हासिल नही कर पाई और भारतीय जनता पार्टी ने एआईटीसी, एनपीएस, एलजेपी, एनपीपी और निर्दलीय पार्टी को मिलाकर अपनी सरकार बना ली। इस प्रकार बीजेपी की सरकार बन गई और बिरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के 8 सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए जिसके ऊपर दल बदल कानून लागू होता है। और 2020 में भारतीय जनता पार्टी के तीन विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उनके ऊपर भी दल बदल कानून लागू होता है। परंतु कई सालों तक स्पीकर द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

मध्यप्रदेश में भी कुछ दलबदल की राजनीति देखने को मिलती हैं। ज्योतिराज सिंधिया ने 10 मार्च को कांग्रेस छोड़ी और 11 मार्च को बीजेपी में शामिल हो गए। अर्थात अपना दल बदल लिया। ज्योतिराज सिंधिया के साथ–साथ 22 सदस्यों ने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया क्योंकि यह कानून सिर्फ विधायकों पर लागू होता है। इसीलिए क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया विधायक नही है तो उन पर यह कानून लागू नहीं होता। परन्तु इन 22 सदस्यों पर दलबदल कानून लागू होगा।

स्पीकर की भूमिका

दल बदल विरोधी कानून से स्पीकर को बाहर रखा गया है। अर्थात स्पीकर द्वारा अपनी पार्टी से इस्तीफा देने पर, पद छोड़ने पर और पार्टी में फिर शामिल होने पर उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। दसवीं अनुसूची के पैरा 6 अनुसार दल बदल कानून लागू करने के सभी अधिकार अध्यक्ष या सभापति को दिए गए हैं। लेकिन स्पीकर के अंतिम निर्णय लेने के इस अधिकार को कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा।दल बदलने वाले विधायकों /सांसदों के सदस्य को अयोग्य ठहराने को लेकर स्पीकर के फैसले हमेशा विवाद का कारण बनते रहे हैं। क्योंकि सभापति/स्पीकर उसी पार्टी के सदस्य होते हैं अर्थात पक्षपात पूर्ण निर्णय भी कर सकते हैं। राजनीतिक दल का सदस्य होने से स्पीकर के निर्णय की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाते हैं। स्पीकर द्वारा कई बार निर्णयों में देरी करके इस अधिकार का दुरुपयोग भी किया गया है। अतः स्पीकर के अंतिम निर्णय लेने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है। तथा अब सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के निर्णय में न्यायिक पुनरीक्षण कर सकती है। कई बार दल बदल विरोधी कानून का दलबदल के दोषियों द्वारा दुरुपयोग करने पर अध्यक्ष या सभापति को आविश्वास प्रस्ताव का सामना भी करना पड़ा है। उदाहरण नबाम रेबिया मामले में विधानसभा सदस्यों ने दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए विधानसभा स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ले आए थे।

PURVA MIMAANSA

सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

किहोतो हालोहान वाद.

मूल प्रावधानों के अनुसार दल बदल विरोधी कानून के तहत सदस्यों की अयोग्यता साबित करने के सभी अधिकार अध्यक्ष सभापति को दिये गये है। लेकिन स्पीकर के अंतिम निर्णय लेने के इस अधिकार को कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि स्पीकर के अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार को खत्म कर देता है। स्पीकर द्वारा अंतिम निर्णय लेने से स्पीकर द्वारा इस कानून का दुरुपयोग करने का खतरा बना रहता है ।

इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1993 के कीहोतो होलोहन वाद में फैसला देते हुए कहा कि स्पीकर या सभापति का निर्णय अंतिम नहीं होगा। स्पीकर या सभापति के निर्णय का न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है। परंतु यह भी माना की दसवीं अनुसूची के प्रावधान संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करते और न ही यह संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत किसी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल विरोधी कानून को संवैधानिकता प्रदान की और स्पीकर की शक्ति के दुरुपयोग पर अंकुश लगा दिया।

अधिनियम का मूल्यांकन

पक्ष में तर्क

दल बदल विरोधी कानून के कारण दलबदल पर लगी रोक सरकार को स्थिरता और मजबूत करती है।

दल बदल विरोधी कानून निर्वाचित उम्मीदवारों को पार्टी के प्रति उत्तरदायी बनाए रखता है।

दल बदल विरोधी कानून ने भ्रष्टाचार को कम करने में मदद की है।

इस कानून ने दोषी सदस्यों पर दंडात्मक कार्यवाही का अधिकार प्रदान किया है।

यह कानून राजनीतिक दलों को दल बदल की बजाए दल विलय की सुविधा प्रदान करता है।

विपक्ष में तर्क

कानून जनप्रतिनिधियों को पार्टी से ऊपर उठकर स्वतंत्र कार्य करने व स्वतंत्र विचार रखने से रोकता है।

यह कानून गैर लोकतांत्रिक माना जाता है क्योंकि यह जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

यह कानून जनप्रतिनिधियों का नहीं बल्कि दलों के शासन व्यवस्था अर्थात पार्टी राज को बढ़ावा देता है।

PURVA MIMAANSA

दल बदल विरोधी कानून के कई प्रावधान इस प्रकार के हैं कि इनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है।

निष्कर्ष

भारत की नैतिक राजनीति में दल बदल विरोधी कानून को एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जाता है। 'आया राम गया राम' जैसी राजनीति को समाप्त करने में इस कानून ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । दल बदल विरोधी कानून एक तरफ तो पार्टी में अनुशासन बनाए रखता है तथा दूसरी और पार्टी लाइन को बढ़ावा देता है और महत्वपूर्ण विचारों को अनदेखा करता है। कई बार इस कानून को देश की राजनीति में चुनौती का भी सामना करना पड़ता है।

सुझाव

दल बदल विरोधी विसंगति युक्त होने के कारण इसका सदुपयोग ना होकर दुरुपयोग किया जा रहा है। अतः आवश्यक है की इसकी कमियों में सुधार लाया जाए। दल–बदल विरोधी कानून में संशोधन कर उसके उल्लंघन पर अयोग्यता की अवधि को 6 साल या उससे अधिक किया जाना चाहिये, ताकि कानून को लेकर नेताओं के मन में डर बना रहे।

इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों में जन प्रतिनिधि अपने दलो के विपरीत मत रखते हैं या पार्टी लाइन से अलग जाकर बहुत करते हैं फिर भी वे उसी पार्टी में बने रहते हैं। भारत में भी यही व्यवस्था होनी चाहिए। संसदीय प्रणाली में अनुशासन और सुशासन सुनिश्चित करने में दल बदल विरोधी कानून महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, लेकिन इसे समय के अनुसार परिवर्तन किये जाने की ज़रूरत है, ताकि सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बेहतर लोकतंत्र भी साबित हो।

संदर्भ सूची

दा हिंदू, मणिपुर विधानसभा चुनाव, 20 जून 2020 ।

हिंदुस्तान टाइम्स, मध्यप्रदेश में दलबदल की राजनीति, 9 मार्च 2020 ।

दृष्टि दा विजन एडिटोरियल दल बदल विरोधी कानून।

Indian Express. (Bhajan Lal 38 MLA defect to Congress), 1980

Hindstan Times. (Congress MLAs resign in big numbers, Kumaraswamy Govt may collapse), 7 July 2019.

PURVA MIMAANSA